कार्यालय : निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

पत्रांक : प्रा॰शि॰–दो(2)/ 555 /148(18)/2018–19 दिनांकः 14 दिसम्बर, 2018

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक के बैकलॉग/सामान्य के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं को संशोधित किये जाने के क्रम में उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली–2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत इस विज्ञप्ति की **तिथि 14–12–2018** से संशोधित सेवा नियमावली–2018 के प्राविधानों के अनुसार जनपद स्तर पर निर्गत विज्ञप्ति में उल्लिखित अन्तिम तिथि तक संशोधित सेवा नियमावली–2018 के नियम–9(क) में वर्णित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से राज्य में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्राथमिक एवं सहायक अध्यापक, प्राथमिक (उर्दू) के बैकलॉग एवं सामान्य रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं।

01. बैकलॉग एवं सामान्य के रिक्त पदों तथा आवेदन पत्र व अन्य वांछित सूचना के संदर्भ में जनपद द्वारा सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार पृथक से विस्तृत विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी, जिसमें पदों तथा आरक्षण आदि का उल्लेख किया जायेगा।
02. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद की विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर वांछित संलग्नकों सहित जिला शिक्षा अधिकारी प्रा॰शि॰ सम्बन्धित जनपद के कार्यालय के पते पर निर्धारित अन्तिम तिथि तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया जायेगा, तत्पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा नियमावली में उल्लिखित चयन समिति के माध्यम से चयन की कार्यवाही की जायेगी।
03. यह विज्ञप्ति तथा संशोधित सेवा नियमावली–2018 विभागीय बेवसाइट **www.school education.uk.in** पर उपलब्ध है।

14.12.18

(आर॰ के॰ कुंवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

कार्यालय : निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

पृ॰सं॰ : प्रा॰शि॰–दो(2)/ 19057–60 /148(18)/2018–19 दिनांक 14 दिसम्बर 2018

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

03– मण्डलीय अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति एवं निदेशालय द्वारा प्रेषित निर्देशों के क्रम में तत्काल जनपद स्तर पर सेवा नियमावली–2012 एवं संशोधित सेवा नियमावली–2018 के प्राविधानों के अनुसार विस्तृत विज्ञप्ति प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

05– महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को अनुरोध के साथ कि उल्लिखित विज्ञप्ति को राज्य में प्रकाशित होने वाले व्यापक प्रचार प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान के उत्तराखण्ड संस्करण में न्यूनतम स्थान पर Font size 10 में डी.ए.वी.पी. दरों पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा बिल भुगतान हेतु प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय को बिल दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

14.12.18

(आर. के. कुंवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून